संख्या 1427/XXIV-3/07/02(126)2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक: 23 जनवरी,2008

विषय: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गौचर, चमोली के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 30529/5ख1/डायट/2007–08, दिनांक: 10 सितम्बर,2007 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या: 279/माध्यमिक/2004; दिनांक: 28 मार्च,2004 एवं शासनादेश संख्या: 374/XXIV-3/05/02(126)2005; दिनांक: 14 जुलाई,2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गौचर, चमोली के फेज–1 प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 122.29 लाख के क्रम में फेज–2 छात्रावास निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, श्रीनगर इकाई द्वारा गठित एवं टी.ए.सी. द्वारा आंकलित लागत रू0 432.95 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या: 1010/XXIV-3/07/02(20)2007; दिनांक: 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निर्वतन पर रखी गयी रू0 160.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य की प्रगति हेतु इस प्रकार समयबद्धता तय की जाय जिससे 'टाइम ओवर रन' एवं 'कॉस्ट ओवर रन' की स्थिति ना आये।

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर प्राप्त आवश्यकतानुसार निदेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

क्रमशः.....2

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(10)– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(11)– विभाग निर्माण कार्य की गुणवत्ता/प्रगति की चैकिंग की कार्यों की व्यवस्था थर्ड पार्टी से करायेंगें तथा इसका व्यय सैंटेज चार्जेज में निहित धनराशि से वहन करना होगा।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखा को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–00–19–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण –24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 793(P)XXVII(3)/08; दिनाँकः 17.01.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्याः 1427(1)/XXIV-3/07/02(126)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
6– जिलाधिकारी, चमोली।
7– कोषाधिकारी, चमोली।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
9– प्राचार्य, डायट/जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
11– संबंधित निर्माण एजेन्सी ।

क्रमशः.....3

12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
13– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव